

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक..15.03.26

संचिका संख्या-07/परि0-194/2025...1073 यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका सं0-11300/2025 विकास कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18.11.2025 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. याचिका सं0-11300/2025 में दिनांक 18.11.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है—

“Learned Advocate for the petitioners submitted that the petitioners were duly appointed on the basis of their B.Ed.Patna High Court CWJC No.11300 of 2025 dt.18-11-2025 3/6Degree and later on completed six months special training (bridge course) and thus in terms with the relevant rules, they were found entitled for the trained scale salary. When the same was denied, One Satyendra Kumar Ojha has approached this Court by filing CWJC No. 9416 of 2019. A bench of this Court having taken note of the fact that somewhat identical issue has come up for consideration before the Division Bench in LPA No. 1699 of 2013 and the case of the petitioner is squarely covered with the decision of the learned Division Bench set aside the impugned order dated 09.01.2019, whereby the claim of the petitioners for grant of scale of trained teacher has been rejected that the petitioners have not completed special training of six months (Bridge Course) in Elementary Education. In the light of the order passed in CWJC No. 9416 of 2019, identically situated teacher namely Satyendra Kumar Ojha has filed a detailed representation and the Director, Primary Education considering the materials available on record, especially the mandate of the Division Bench in LPA No. 1699 of 2013 has extended the benefit of trained pay scale with effect from the date of his appointment.”

3 .उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए दिनांक-23.02.2026 तथा दिनांक-25.02.2026 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय कक्ष में सुनवाई निर्धारित की गयी तथा वादी श्री विकास कुमार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. याचिकाकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2014 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 अन्तर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में की गई। नियुक्ति से पूर्व याचिकाकर्ताओं द्वारा बी०एड० की प्रशैक्षणिक उपाधि प्राप्त कर ली गई थी। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप वे एन०आई०ओ०एस० द्वारा

L -

आयोजित छः माह के सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि सेतु पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता की तिथि 11.06.2019 से प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार एल०पी०ए० सं०-1699/2013 के अपीलकर्तागण के सदृश हमलोगों को भी प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि (नियुक्ति तिथि 21.08.2014) से प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए।

5. ध्यातव्य है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 अन्तर्गत वर्ष 1 से 5 हेतु मूल कोटि के शिक्षकों के नियोजन में न्यूनतम प्रशैक्षणिक योग्यता के रूप में बी०एड० के आधार पर नियोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं था। फलतः बी०एड० योग्यताधारी आवेदकों द्वारा मूल कोटि में नियोजन हेतु अप्रशिक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया। श्री विकास कुमार एवं याचिकाकर्ताओं इसी श्रेणी के शिक्षक हैं।

6. बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 के कंडिका-5 (ड) में अंकित है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियोजित बी०एड० की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. याचिका सं०-14652/2012 क्रांति कनक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से उद्भूत एल०पी०ए० सं०-1699/2013 में दिनांक 27.09.2016 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय सकल्प सं०-7/मु03-30/2016-455, दिनांक 30.03.2019 द्वारा डी०पी०ई० के दो वर्षीय प्रशिक्षण के तीनों मॉड्यूल उत्तीर्ण करने के उपरान्त छः माह के संवर्द्धन कार्यक्रम पूर्ण कर लेने वाले शिक्षकों (जिला सवर्ग एवं नियोजित शिक्षक सहित) को दो वर्षीय डी०पी०ई० प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया गया।

8. समरूप वाद याचिका सं०-9416/2019 सत्येंद्र कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 04.03.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 1790 दिनांक 16.10.2024 पारित किया गया था। अंकनीय है कि उक्त विभागीय आदेश द्वारा वादी

✓

के मामले को एल०पी०ए० सं०-1699/2013 में पारित न्यायादेश के सदृश्य मानते हुए उन्हें नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान्य किया गया था।

9. उक्त आदेश की विभागीय आंतरिक समीक्षा के क्रम में पाया गया की वादी का मामला एल०पी०ए० सं०-1699/2013 के वादीगणों से भिन्न है। इन दोनों में कोई भी सदृश्यता नहीं है। प्रस्तुत वाद के वादी का नियोजन वर्ष 2014 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शक्त) नियमावली, 2012 के अन्तर्गत किया गया जबकि एल०पी०ए० सं०-1699/2013 के वादीगणों कि नियुक्ति वर्ष 1999 से 2005 के बीच बिहार प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली 1991 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किया गया था। वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाय जिसके उपरांत इनके वेतनमान में वृद्धि किया जाना था। किन्हीं कारणों से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुछ शिक्षकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण में देर से भेजा गया जिस कारण उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने में विलम्ब हुआ था। यह बात एल०पी०ए० सं०-1699/2013 में पारित न्यायादेश दिनांक 27.09.2016 से स्पष्ट है इन वादीगणों को विलम्ब से वर्ष 2007-2009 तथा 2008-2010 में प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया था जिसके कारण इनका प्रशिक्षण 2010 एवं 2011 में पूर्ण हो पाया। सामान्यतः प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाना था परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा उक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खेद जताया गया था जिसके उपरांत दिनांक 01.07.2011 को यह निर्णय लिया गया कि सभी डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को छः माह का विशेष समृद्ध कोर्स कराया जाय।

10. माननीय न्यायालय द्वारा यह बात भी विशेष रूप से अंकित की गई है कि इन वादीगणों का कोई दोष न होने के कारण नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुरूप वरीयता का भी नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में संबंधित वादीगणों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सरकार द्वारा किये गये विलंब के आधार पर इन वादीगणों के मामले में डी.पी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के आशय का नयायादेश पारित किया गया था। यह न्यायादेश केवल संबंधित वादीगणों के विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर पारित किया गया था तथा यह आदेश सामान्य रूप से सभी मामलों में लागू नहीं होता है।

11. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद के वादीगणों का नियोजन वर्ष 2014 में बी.एड. अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक के रूप में किया गया था तथा नियुक्ति के उपरांत इन्हें अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान दिया जा रहा था। बी.एड. अर्हता

Z

होने के पश्चात् वादी की नियुक्ति कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के रूप में NCTE की अधिसूचना दिनांक-23.08.2010 के आलोक में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधानित था कि बी.एड. योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना दिनांक-23.08.2010 को NCTE की अधिसूचना दिनांक-28.06.2018 द्वारा संशोधित किया गया परन्तु बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को छः माह का सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा किये जाने का शर्त निर्धारित किया गया था।


12. NCTE द्वारा किये गये प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि बी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 में नियुक्त किये जाने के क्रम में उन्हें छः माह का विशेष सेतु पाठ्यक्रम पूरा किया जाना आवश्यक है तथा NCTE की यह मंशा नहीं थी कि बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी केवल बी.एड. योग्यता के आधार पर ही कक्षा 1 से 5 में पठन-पाठन हेतु नियुक्त किये जाय। बी.एड. को डी.पी.ई. अथवा डी.एल.एड. के समरूप घोषित नहीं किया गया था। नियमावली 2012 में यह कहीं भी प्रावधानित नहीं है कि छः माह का संवर्द्धन कोर्स कर लेने के उपरांत संबंधित बी.एड. योग्यताधारी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को नियुक्ति की तिथि अथवा बी.एड. योग्यता प्राप्त करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

13. वादीगण के मामले में विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वादीगण का दावा प्रशिक्षणचर्या कार्यक्रम में विभाग द्वारा नामांकित कराये जाने के क्रम में हुए विलंब के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा कोई विलंब परिलक्षित भी नहीं होता है। वादी द्वारा उनके समरूप किसी कनीय शिक्षक को उनके पूर्व प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किये जाने का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वादी द्वारा उनका मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के वादीगणों के समरूप होने का दावा किया गया जो कि आधार विहीन है। एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 में पारित आदेश विशेष परिस्थिति में केवल संबंधित वादीगणों के मामले में लागू होता है न कि अन्य मामलों में।

14. उक्त परिप्रेक्ष्य में वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के सदृश्य नहीं है तथा वादी का मामला एल.पी.ए. संख्या-1699/2013 के विशेष परिस्थिति में दिये गये निर्देश या लाभ से आच्छादित नहीं होता है। साथ ही सी०डब्लू०जे०सी० सं०-9416/2019 में दिनांक-04.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक-1790 दिनांक-16.10.2024 को पुनरीक्षित करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक-1017 दिनांक-12.03.2026 द्वारा वादी के दावा को अस्वीकृत किया गया है।

अतएव उक्त अभिमत के साथ प्रस्तुत वाद के वादीगण के दावे को अस्वीकृत किया जाता है।




(विक्रम विक्रम)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक-07 / परि-194 / 2025.....पटना, दिनांक.....

- प्रतिलिपि :-
1. Vikash Kumar son of Vijay Kumar Jha, resident of South of Law College, Ward No.-10, P.O. and P.S.-Arariya, District-Arariya, at present posted as Exclusive Teacher in NP School at Kawaiya, Mahadalit Tola, Block-Sikti, Arariya.
 2. Dilip Kumar Yadav, son of Sunder Lal Yadav, resident of Village-Karahbari, P.O.-Bhojpur, P.s.-Bardaha Block Sikti, District-Araria, at present posted as Exclusive Teacher in Middle School Benga, Block-Sikti, Arariya.
 3. Heerendra Kumar Mishra @ Heerendra, Son of Rudranand Mishra, Resident of At-Mishra Bandhu Niwas Ward No. 1 Pategna, P.O.-Pategna, P.S.- Tarabari, Block and District-Araria. at present posted as Exclusive Teacher Primary School Tola-Milky, Block-Kursakanta, Arariya.
 4. Poonam Kumari, Wife of Naveen Jha, Resident of village-Saranpur, Brahman Tola, Ward No.-02, P.O.-Dabhara, P.S.-Tarabari, Block and District-Araria, at present Exclusive Teacher Primary School Bakhari Milik, Block-Kursakanta, Arariya.
 5. Mukesh Kumar Jha Son of Late Dilip Kumar Jha, Resident of Village and P.O.-Surgaon, Ward No.-02, P.S.-Kursakanta, District- Araria, at present Exclusive Teacher at Saurgaon (Uttar), Block-Kursakanta, District- Araria.
 6. Md. Mahboob Alam, son of Md. Maghrib Alam, Resident of Kathwa, Ward No.-01 P.O.-Pararia, P.S. and Block-Sikti, District-Araria, at present Exclusive Teacher Primary School Kuchaha, Block-Sikti, District-Araria.
 7. Md. Junaid Haidar @ Junaid Haidar, son of Md. Ibrahim, resident of Siktia Jama Maszid Tola Kakan, Ward No.-04, P.O.-Kakan, P.S. and Block-Jokihat, District-Araria, at present Exclusive Teacher at Primary School Bhebhra Durgapur, Block Jokihat, District-Araria.
 8. Md. Abid Hussain, son of Abdul Hamid, Resident of Singar Mahani Tola, Thapkol, Ward No.-12, Matiyari, P.O. and P.S. and Block-Jokihat, District- Araria, at present Exclusive Teacher at Primary School Haji Khalil Tola, Block Jokihat, District-Araria.
 9. Md. Nawaz Sharif, Son of Md. Nazam Uddin, Resident of Rupail Shyampur, Ward No.-01, P.O.-Balua Deorhi, P.S. and Block-Palasi, District-Araria, at present Exclusive Teacher at Primary School Mahjali Godha Tola, Block Jokihat, District-Araria.
 10. Naveen Kumar, son of Basudeo Yadav, Resident of Navtol Dhaneshwari, P.O.-Bhatgama, P.S.-Bhargama District-Araria, at present Exclusive Teacher at Primary School Barohua, Block Raniganj, District-Araria.
 11. Md. Intekhab Alam, son of Md. Nishat Akhter, Resident of Majkuri, Ward No.-01, P.O.-Rajokhar, P.S.-Araria R.S., Block and District-Araria, at present Exclusive Teacher at Primary School Rahika tola-Kochgama, Block and District-Araria.
 12. Vikas Kumar Jha, son of Birendra Nath Jha, Resident of At and P.O.- Parwaha, P.S. and Block-Forbesganj, District-Araria, at present Exclusive Teacher at Primary School Sonarpatti, Block Forbesganj, District-Araria.

13. Umakant Bharti, son of Yogendra Narayan Yadav, Resident of Professor Colony, Ward No. 25, P.O. and P.S. and Block-Forbesganj, District-Araria, at present Exclusive Teacher at Primary School Paswan Tola Krikichiya, Block Forbesganj, District-Araria.

14. Azrana Perween Wife of Imroz Alam, Resident of - Dehti Dakhkhin, Pipra Tola, Ward No. -13, P.O. - Dehti, P.S. and Block - Palasi, District- Araria, at present Panchayat Teacher at Middle School Bansar, Block - Palasi, District- Araria. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-07/परि-194/2025.....1073.....पटना, दिनांक.....18/03/26.....
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-07/परि-194/2025.....1073.....पटना, दिनांक.....18/03/26.....

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।